

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) अधिमान्य व्यापार व्यवस्था

सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (साप्टा) करार पर संक्षिप्त नोट

I. प्रस्तावना

वर्ष 1993 में 7 विकासशील देशों द्वारा, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के सदस्य थे, सार्क अधिमान्य व्यापार करार व्यवस्था (साप्टा) पर समझौता वार्ता की गई।

2 साप्टा के घोषित उद्देश्य हैं:

क. आपसी व्यापार को बढ़ावा देना तथा बनाया रखना, एवं

ख. विकासशील देशों (77 समूह के सदस्य) के बीच आर्थिक सहयोग का विकास करना।

II. मूल स्थान के नियम

1) इन नियमों का उद्देश्य साप्टा के तहत अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र उत्पादों का मूलस्थान निर्धारित करना है। जिन उत्पादों ने 'भारत में उत्भूत' का दर्जा हासिल किया है, भागीदार देशों में आयात करने पर अधिमान्य प्रशुल्क व्यवहार के लिए पात्र हैं।

2) अगर निम्नलिखित उत्पादों को एक भागीदार देश को सीधे परेषित किया जाता है तो उन्हें भारत में उत्भूत के रूप में माना जाता है।

क) उत्पाद जो पूरी तरह से भारत में प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि नीचे 4 में परिभाषित है।

ख) भारत में प्राप्त उत्पाद, जिनके निर्माण में नीचे 4 में निर्दिष्ट उत्पादों के अलावा और भागीदार देशों में उत्भूत उत्पादों, गैर भागीदार देशों से आयातित उत्पादों और / या अनिर्धारित मूल की उत्पादों का भी इस्तेमाल किया है, बशर्ते कि नीचे 5 पर विस्तृत शर्त के अधीन गैर - भागीदार देशों से आयातित उत्पाद और / या अनिर्धारित मूल के उत्पादों का मूल्य उत्पाद के एफओबी मूल्य के, 50% से अधिक नहीं है।

3) 2 (ख) के प्रयोजन के लिए, गैर उद्भव उत्पादों के मूल्य का मतलब है ऐसी उत्पादों के आयात के समय का सी.आई.एफ.मूल्य, या, अगर यह ज्ञात नहीं है और पता लगाया और साबित नहीं कर सकता है तो, पहले भारत में उत्पाद के लिए भुगतान किए निर्धारित मूल्य।

4) ऊपर 2(क) के अर्थ के भीतर, निम्नलिखित पूरी तरह से भारत में प्राप्त के रूप में माना जाता है।

(क) कच्चे या खनिज उत्पादों¹ अपनी धरती, अपने पानी या अपने समुद्र तल से निकाला गया

(ख) वहाँ काटे कृषि उत्पाद² ;

(ग) वहाँ जन्म लिए और पाले गए पशु;

(घ) ऊपर खंड (ग) में निर्दिष्ट पशुओं से प्राप्त उत्पाद;

(ङ) वहाँ के शिकार या मत्स्यन से प्राप्त उत्पाद;

(च) अपने जहाजों^{3,4} द्वारा गभीर समुद्र से लिए समुद्री मत्स्यन के उत्पाद तथा अन्य समुद्री उत्पाद;

(छ) प्रसंस्कृत और / या अपनी फैक्टरी जहाजों^{4,5} के बोर्ड पर बनाए गए उत्पाद विशेष रूप से ऊपर खंड (च) में निर्दिष्ट उत्पाद ;

(ज) वहाँ एकत्रित इस्तेमाल की गई सामग्रियाँ जो कच्चे माल की बरामदी के लिए ही उपयुक्त;

(झ) वहाँ के निर्माण कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट और रद्दी माल

- (ज) वहाँ उत्पादित माल विशेष रूप से ऊपर खंड (क) से (झ) तक निर्दिष्ट उत्पाद
- 5) 2 में दिए गए उत्पाद जो मूल आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं तथा दूसरे भागीदार द्वारा अधिमान्य व्यवहार के लिए योग्य एक तैयार उत्पाद को एक प्रतिभागी द्वारा आदानों के रूप में उपयोग किया जाता है, भागीदार के क्षेत्र में, जहां तैयार उत्पाद के कार्य या प्रसंस्करण संपन्न हुए हैं, उसे वहाँ उत्भूत उत्पाद के रूप में माना जाता है बशर्ते कि भागीदार के क्षेत्र में उद्भूत कुल सामग्री उसके एफओबी मूल्य⁶ के 60 प्रतिशत से कम नहीं है।
- 6) माना जाता है कि निम्नलिखित भारत से सीधे आयातक देश को परेषित किया जाना है
- क) यदि उत्पाद का परिवहन किसी भी गैर भागीदार देश के क्षेत्र के माध्यम से गुजरे बिना किया जाता है।
- ख) इस तरह देशों में जहाँ यानांतरण या अस्थायी भंडारण के साथ या बिना उत्पाद के परिवहन में एक या एक से अधिक गैर भागीदार देशों के माध्यम से पारगमन शामिल है, बशर्ते कि ;
- (i) पारगमन प्रवेश भौगोलिक कारण या परिवहन आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से संबंधित हितों से जायज़ है;
- (ii) उत्पादों के व्यापार या उपभोग वहाँ में दर्ज नहीं किए हैं; तथा
- (iii) उत्पाद वहाँ उतराई और पुनः लोड के अलावा किसी भी प्रचालन के अधीन नहीं आया है या किसी भी प्रचालन उन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए जरूरी है।
- 7) उत्पादों की उत्पत्ति का निर्धारण करने पर, इसमें शामिल उत्पाद के साथ पैकिंग पूरा होता है।

III. भागीदार देश

बांग्लादेश जनवादी गणराज्य

नेपाल साम्राज्य

भूटान का साम्राज्य

पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य

भारत गणराज्य

श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य

मालदीव गणराज्य

IV. मूल स्थान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण

विभिन्न निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ईपीजेड) / विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास आयुक्तों और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को साप्ता के तहत मूल स्थान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

V. शुल्क संरचना और भुगतान की विधि

खाली फार्म का बिक्री मूल्य : प्रति सेट/प्रपत्र : रु.20/-

प्रमाणीकरण शुल्क : प्रति सेट/प्रपत्र रु.350/- (प्रत्यक्ष सत्यापन के बिना)।

- खाली फार्म, प्रमाणीकरण शुल्क और प्रत्यक्ष सत्यापन के शुल्क का भुगतान अभिकरण कार्यालय के साथ खोले एक जमा खाता या अभिकरण के पक्ष में आहरित और उस तारीख पर कम से कम 3 महीने के लिए वैध एक बैंकर चैक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है ।
- एक निर्यातक द्वारा अभिकरण / संबंधित उप कार्यालय के साथ प्रारंभिक राशि रुपये 1,000/- का भुगतान करके जमा खाता खोला जा सकता है और आगे की राशि प्रमाण पत्र की मांग की मात्रा के अनुसार रु.500/-के गुणकों में आवधिक रूप से जमा किया जा सकता है । जमा खाता खोलने के लिए प्रारंभिक राशि का भुगतान तथा साथ ही आगे के धनप्रेषण संबंधित निर्यात रीक्षण

अभिकरण के पक्ष में आहरित एवं उस तारीख पर कम से कम तीन महीने के लिए वैध स्थानीय चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। जमा खाते के संचालन के लिए, एक पासबुक संबंधित अभिकरण/ उप-कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।

टिप्पणियाँ:

- ¹ खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री के साथ खनिज या धातु अयस्क भी शामिल हैं।
- ² वानिकी उत्पाद शामिल हैं।
- ³ "जहाज़ों" का उल्लेख वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाज़ों के लिए भारत में विधिवत पंजीकृत और भारतीय नागरिक या सरकार द्वारा संचालित या साझेदारी, निगम या संघ है, इक्विटी के कम से कम 60% एक नागरिक या नागरिकों और / या भारत सरकार के स्वामित्व में है या 75% नागरिकों या प्रतिभागियों की सरकारों द्वारा होगा। तथापि, द्विपक्षीय समझौते के तहत, वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाज़ों से लिए उत्पाद, जो इस तरह के जहाज जो किराए पर/ पट्टे पर उपलब्ध कराए जाते हैं, और / या प्रतिभागियों के बीच पकड़ के बँटवारे किए जाते हैं, भी अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।
- ⁴ सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित वाहिकाओं या फैक्टरी जहाज़ों के संबंध में एक विशेष भागीदार का झंडा उड़ाने की आवश्यकता लागू नहीं होती।
- ⁵ साप्ता के प्रयोजन के लिए, "फैक्टरी जहाज" का शब्दार्थ विशेष रूप से खंड 4(च) में निर्दिष्ट उत्पादों के प्रसंस्करण और / या बोर्ड पर बने उत्पादों के लिए इस्तेमाल किसी भी पोत, के रूप में परिभाषित होता है।
- ⁶ ऊपर के 5 में निहित "आंशिक" संचयन का मतलब है कि केवल जो उत्पाद, एक भागीदार के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति स्थिति हासिल कर ली है, एक अन्य प्रतिभागी के क्षेत्र में एक तैयार उत्पाद के लिए आदानों के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र के रूप में माना जा सकता है।

पूर्व सूचना

बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार, **भूटान** साम्राज्य, **भारत** गणराज्य, **मालदीव** गणराज्य, **नेपाल** साम्राज्य, **पाकिस्तान** इस्लामी गणराज्य और **श्रीलंका** लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य को इसके आगे से "करार राज्य" के रूप में संदर्भित है।

अपने लोगों के फायदे के लिए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपसी अनुकूलन की भावना से, स्वायत्तता सम्पन्न समानता, स्वतंत्रता एवं सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के पूर्ण सम्मान के प्रतिबद्धता से प्रेरित :

अवगत है कि व्यापार का विस्तार उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए, निवेश और उत्पादन का विस्तार करते हुए इस प्रकार रोजगार और ढेर उनकी जनसंख्या के लिए उच्च जीवन स्तर हासिल करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा इस प्रकार रोजगार और उनकी आबादी के लिए उच्च जीवन स्तर हासिल करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है ;

क्षेत्रीय अधिमान्य व्यापार व्यवस्था स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त;

दक्षिण एशियाई व्यापार की कुल मात्रा में वर्तमान में एक नगण्य हिस्सेदारी बना लेने से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की जरूरत पर तत्काल ध्यान देना ;

दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथा सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक में दिए गए निदेशों को याद करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां आर्थिक सहयोग तुरंत व्यवहार्य हो सकता है;

व्यापार के उदारीकरण के लिए दिसम्बर 1991 में कोलंबो में आयोजित छठी सार्क शिखर सम्मेलन में राज्य के प्रमुखों या सदस्य देशों की सरकार की घोषित प्रतिबद्धता द्वारा मार्गदर्शित इस तरीके से व्यापार के उदारीकरण के लिए उत्तरोत्तर पहुंच जो व्यापार के विस्तार को समान इस क्षेत्र के देश व्यापार के विस्तार के लाभ का न्यायतः हिस्सा;

कोलंबो में छठी सार्क शिखर सम्मेलन द्वारा दिए गए अधिदेश का संज्ञान एक संस्थागत ढांचे पर और समझौते तैयार करने तथा उसकी की मांग करने के लिए, जिसके तहत सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार उदारीकरण के लिए विशिष्ट उपायों को आगे बढ़ाया जा सकता है और श्रीलंका के प्रस्ताव की जांच करने के लिए 1997 तक सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते (साप्टा) स्थापित करने के लिए;

यह स्वीकार करते हुए कि एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था इस क्षेत्र में उच्च स्तर के व्यापार और आर्थिक सहयोग की दिशा में पहला कदम है।

अनुच्छेद-1

परिभाषाएँ

इस करार के प्रयोजन के लिए :

1. "अल्प विकसित देश" का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक देश कि इस तरह नामित किया गया।
2. "करार राज्य" का अर्थ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के किसी भी सदस्य राज्य जिसने इस समझौते में प्रवेश किया है।
3. "गंभीर क्षति" का मतलब है घरेलू उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान I पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप जैसे या समान उत्पाद 01 अल्पावधि में अरक्षणीय उत्पादन, आय या रोजगार के मामले में काफी नुकसान पहुंचने वाली स्थितियों में अधिमान्य आयात । संबंधित घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में अन्य संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और उत्पाद के घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांक भी शामिल होगा ।
4. "गंभीर क्षति" के खतरे का अर्थ है ऐसी परिस्थिति जिसमें अधिमान्य आयात की पर्याप्त वृद्धि । घरेलू उत्पादकों को 'गंभीर क्षति ' के कारण का एक रूप है, और यह है कि ऐसी क्षति, यद्यपि अभी तक नहीं मौजूद है लेकिन स्पष्ट रूप से आसन्न है। गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर और मात्र आरोप के आधार पर नहीं किया जाएगा। अनुमान या दूरस्थ या काल्पनिक संभावना है।
5. "गंभीर परिस्थितियों का मतलब है" एक असाधारण स्थिति का उद्भव जहां बड़े पैमाने पर आयात अधिमान्य या खतरा पैदा करने "गंभीर क्षति" का कारण बनता है और उसे सुधारना मुश्किल होता है जो तत्काल कार्रवाई माँगता है।
6. "क्षेत्रवार आधार" का अर्थ, प्रशुल्क गैर प्रशुल्क और पैरा- प्रशुल्क बाधाओं को हटाने या प्रशुल्क में कमी, साथ ही अन्य व्यापार संवर्धन या निर्दिष्ट उत्पादों या समूहों के लिए सहकारी उपायों बारीकी से अंतिम उपयोग या उत्पादन में जुड़े हुए उत्पादों के बारे में करार राज्यों के बीच समझौता है ।

7. "प्रत्यक्ष व्यापार के उपायों" का मतलब है ऐसी लंबी और मध्यम अवधि के अनुबंध के रूप में आयात और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं से युक्त विशिष्ट उत्पादों, पुनर्खरीद की व्यवस्था, राज्य व्यापार प्रचालन और सरकार और सार्वजनिक खरीद के संबंध में करार राज्यों के आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल उपाय।
8. "प्रशुल्क" का अर्थ करार राज्यों की राष्ट्रीय अनुसूचियों में शामिल सीमा शुल्क प्रशुल्क से है।
9. "पैरा- प्रशुल्क " का अर्थ" विदेश व्यापार लेनदेन पर प्रशुल्क के अलावा अन्य, बोर्डर के प्रभार और शुल्क, जो एक प्रशुल्क जैसे प्रभाव से पूरी तरह आयात पर लगाए जाते हैं, लेकिन उन अप्रत्यक्ष करों और प्रभार नहीं, जो घरेलू जैसे उत्पादों पर लगाया जाता है। प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अनुरूपी आयात शुल्क को पैरा- प्रशुल्क उपायों के रूप में नहीं माना जाता है।
10. "गैर-प्रशुल्क " का अर्थ "प्रशुल्क "और" पैरा-प्रशुल्क "के अलावा अन्य, किसी भी उपाय, विनियमन या कार्यप्रणाली, जिससे आयात प्रतिबंधित करने, या काफी व्यापार बिगाड़ने का कारण हो जाता है।
11. "उत्पाद" का मतलब उनके कच्चे, अर्द्ध प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत सभी पदार्थों सहित सारे उत्पाद।

अनुच्छेद-II

स्थापना और उद्देश्य

1. वर्तमान समझौते के अनुसार, करार राज्य रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से करार राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग, को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए इस समझौते के अनुसार सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (साप्टा) की स्थापना करते हैं ।
2. इस समझौते के प्रावधानों और करार राज्यों द्वारा इसकी रूपरेखा के भीतर सहमत हुए नियम, विनियम, निर्णय, समझ और प्रोटोकॉल के द्वारा भी साप्टा को नियंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद-III

सिद्धांत

साप्टा को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा:

1. साप्टा समान रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए सभी करार राज्यों में, उनके बाहरी व्यापार, व्यापार और प्रशुल्क नीतियों और प्रणालियों आर्थिक और औद्योगिक विकास के अपने स्तर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, समग्र पारस्परिकता और फायदे की पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित और लागू किया जाएगा ;
2. साप्टा बातचीत के जरिए उत्तरोत्तर सुधार और आवधिक समीक्षा के साथ क्रमिक चरणों में विस्तारित किया जाएगा;
3. अल्प विकसित करार राज्यों की विशेष जरूरतों को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगी और उनके पक्ष में ठोस अधिमान्य उपायों पर सहमत होना चाहिए;
4. साप्टा सभी उत्पादों का विनिर्माण और उनके कच्चे, अर्द्ध प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत पण्यों को शामिल करेगा।

अनुच्छेद-IV

घटक

साप्ता में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल सकती हैं,:

1. प्रशुल्क;
2. पैरा- प्रशुल्क;
3. गैर प्रशुल्क उपाय ;
4. प्रत्यक्ष व्यापार उपाय।

अनुच्छेद-V

समझौता वार्ता

1. किसी एक या निम्न दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं के संयोजन के अनुसार करार राज्य व्यापार उदारीकरण के लिए अपने संधिक्रम का प्रचालन कर सकते हैं:-
(क) उत्पाद-उपोत्पाद के आधार;
(ख) बोर्ड भर में प्रशुल्क में कटौती;
(ग) क्षेत्रवार आधार;
(घ) प्रत्यक्ष व्यापार के उपाय।
2. करार राज्य शुरू में एक उत्पाद-उपोत्पाद के आधार पर प्रशुल्क अधिमान्यताओं पर समझौता वार्ता करने के लिए सहमत ।
3. करार राज्य आगे साप्ता का विस्तार और अपने उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए समय-समय पर समझौता वार्ता में प्रवेश करेगा ।

अनुच्छेद-VI

अतिरिक्त उपाय

1. करार राज्य अनुच्छेद 4 में निर्धारित उपायों के अलावा, व्यापार सुविधा स्वीकृत करने और पारस्परिक लाभ के लिए अन्य उपायों के समर्थन और साप्ता के पूरक पर विचार करने के लिए सहमति देते हैं ।
2. करार राज्यों द्वारा अन्य करार राज्यों के साथ अपने व्यापार के विस्तार में सहायता के लिए बनायी तकनीकी सहायता और सहयोग की व्यवस्था के लिए और साप्ता के संभावित लाभ लेने में अल्प विकसित करार राज्य से प्राप्त अनुरोध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । ऐसी तकनीकी सहायता एवं सहयोग के संभावित क्षेत्र अनुबंध - I में सूचीबद्ध हैं ।

अनुच्छेद-VII

रियायतों की अनुसूचियाँ

करार राज्यों के बीच समझौता वार्ता और आदान-प्रदान की प्रशुल्क , पैरा-प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क रियायतों को राष्ट्रीय अनुसूचियों में शामिल किया जाएगा। करार राज्यों द्वारा सहमत की गई प्रारंभिक रियायतें अनुलग्नक - II के रूप में शामिल हैं ।

अनुच्छेद-VIII

समझौता वार्ता रियायतों का विस्तार

इस समझौते के अनुच्छेद 10 के अनुसरण में विशेष रूप से अल्प विकसित करार राज्यों के अलावा साप्ता के तहत सहमत रियायतें सभी करार राज्यों के लिए बिना शर्त विस्तारित किया जाएगा।

अनुच्छेद-IX

भागीदारों की समिति

प्रतिभागियों की एक समिति, इसके आगे से समिति के रूप में संदर्भित, करार राज्यों के प्रतिनिधियों को समाविष्ट करते हुए इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। इस समझौते के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा और सभी करार राज्यों को समान रूप से प्राप्त इस समझौते से उत्पन्न व्यापार के विस्तार के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए समिति की साल में कम से कम एक बार बैठक होगी। समझौते के कार्यान्वयन को प्रभावित करने के लिए किसी भी विषय के संबंध में किसी भी करार राज्य में द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श के लिए समिति पर्याप्त अवसर देगी। समिति इस तरह के अभ्यावेदन निपटाने के लिए उचित उपाय अपनाएगी। समिति कार्यविधियों के अपने नियमों का निर्धारण खुद करेगी।

अनुच्छेद-X

अल्प विकसित करार राज्य के लिए विशेष कार्यवाही

1. इस समझौते के अन्य प्रावधानों के अलावा सभी करार राज्य जहाँ भी संभव हो, विशेष रूप से अल्प विकसित करार राज्य के लिए निम्नलिखित उप अनुच्छेदों में निर्धारित विशेष एवं अधिक तरफदारीपूर्ण व्यवहार उपलब्ध कराएंगे।
 - (क) शुल्क मुक्त पहुंच, विशेष प्रशुल्क अधिमान्यताएं या निर्यात उत्पादों के लिए गहरी प्रशुल्क अधिमान्यताएं।
 - (ख) गैर प्रशुल्क अवरोधों को दूर करना।
 - (ग) जहां उपयुक्त हो, पैरा-प्रशुल्क अवरोधों को दूर करना।
 - (घ) उनके उत्पादों के सतत निर्यात के उचित स्तर को प्राप्त करने के लिए अल्प विकसित करार राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से लंबी अवधि के समझौता की वार्ता।
 - (ङ) रक्षा उपायों के अनुप्रयोग में अल्प विकसित करार राज्य से निर्यात का विशेष ध्यान;
 - (च) अल्प विकसित करार राज्यों द्वारा अन्य करार राज्यों से आयात पर प्रावधिक और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बिना किसी भेदभाव से मात्रात्मक या अन्य प्रतिबंध के समावेश और निरंतरता में अधिक लचीलापन।

अनुच्छेद-XI

गैर अनुप्रयोग

अनुच्छेद 4 एवं 6 में निर्धारित उपायों के बावजूद किसी करार राज्य सरकार द्वारा पहले से ही प्रदान या प्रदान किए जाने वाली अधिमान्यताओं के संबंध में इस समझौते के प्रावधान इस समझौते के ढांचे के बाहर अन्य करार राज्यों के लिए, और तीसरे देशों को द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से तीसरे देशों को इसी तरह की व्यवस्था अधिमान्यताओं के संबंध में लागू नहीं

होगा । करार राज्यों को भी साप्ता में अधिमान्यता देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो कि उन समझौतों के तहत बढ़ाए रियायत को क्षीण पहुंचाता है।

अनुच्छेद-XII

संचार, परिवहन एवं पारगमन

करार राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार के विकास में तेजी के लिए संचार प्रणाली, परिवहन अवसंरचना और पारगमन सुविधाओं और उपायों के विकास और सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए सहमत हैं ।

अनुच्छेद-XIII

भुगतान के संतुलन उपाय

1. इस समझौते के प्रावधानों के बावजूद किसी भी करार राज्य जो भुगतान कठिनाइयों के संतुलन सहित गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करता है, आयात के लिए समझौते के तहत अनुमेय मात्रा और माल के मूल्य के अनुरूप प्रावधिक रियायतों को निलंबित कर सकते हैं । इस तरह कार्रवाई ली जाने पर करार राज्य जो कि इस तरह कार्रवाई की शुरुआत करता है, इसके साथ ही अन्य करार राज्यों और समिति को सूचित करेगा।
2. किसी भी करार राज्य जो इस अनुच्छेद के खंड-1 के अनुसार कार्रवाई लेता है, किसी भी अन्य करार राज्य के अनुरोध पर साप्ता के तहत रियायतों की बातचीत की स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि से विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। यदि कोई संतोषजनक समायोजन के प्रभावित न होने पर संबंधित करार राज्यों के बीच ऐसी अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर, इस मामले की समीक्षा करने के लिए समिति के पास भेजा जा सकता है।

अनुच्छेद-XIV

रक्षा उपाय

अगर किसी भी उत्पाद जो रियायत के अधीन है, इस समझौते के तहत अधिमान्यता के संबंध में, इस तरीके में या ऐसी मात्रा में एक करार राज्य के क्षेत्र में आयात किया जाता है कि कारण या धमकी के कारण, आयात करार राज्य में गंभीर क्षति का कारण बनता है, महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर, संबंधित आयात करार राज्य, समझौते के तहत दी गई रियायत पूर्व के विचार-विमर्श के साथ, बिना किसी भेदभाव के प्रावधिक रूप से निलंबित कर सकता है । जब इस तरह कार्रवाई ले ली है, तब करार राज्य संबंधित करार राज्य को सूचित करने के साथ समिति संबंधित अन्य करार राज्य के साथ परामर्श करने की कार्रवाई शुरू करती है कि स्थिति में सुधार करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचने का प्रयास करता है । मूल अधिसूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर मुद्दे को सुलझाने में करार राज्यों की विफलता की स्थिति में, स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रतिभागियों की समिति 30 दिनों के भीतर एकत्रित होगी और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करेगी ।

प्रतिभागियों की समिति में 60 दिनों के भीतर मुद्दे को सुलझाने के लिए गए विचार-विमर्श विफल हो गए तो, ऐसी कार्रवाई से प्रभावित दल को बराबर रियायत या अन्य दायित्व वापस लेने का अधिकार होगा जो कि समिति को अस्वीकार्य नहीं है।

अनुच्छेद-XV

रियायतों के मूल्य का अनुरक्षण

इस समझौते के अन्य अनुच्छेद के तहत निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर करार राज्यों द्वारा व्यापार को सीमित करने के किसी भी उपाय के अनुप्रयोग द्वारा इस समझौते के अंतर्गत सहमत हुए किसी रियायत कम या निरस्त नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद-XVI

मूलस्थान के नियम

इस समझौते के अधीन रियायतों की राष्ट्रीय अनुसूचियों में शामिल उत्पाद अल्प विकसित करार राज्यों के संबंध में, अगर मूल के विशेष नियमों सहित, वे मूल के नियमों को संतुष्ट करते हैं तो जो कि अनुबंध - III में दिए गए हैं, अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र होंगे ।

अनुच्छेद-XVII

रियायतों के संशोधन और वापसी

1. किसी भी करार राज्य रियायत के विस्तार के दिन से तीन साल की अवधि के बाद इसकी उचित अनुसूची में शामिल कोई रियायत संशोधित या वापस करने के अपने इरादे समिति को सूचित कर सकते हैं ।
2. करार राज्यों के साथ किसी भी आवश्यक और उचित क्षतिपूर्ति के समझौते तक पहुंच जाने के विचार से एक रियायत को वापस लेने या संशोधित करने के लिए इच्छुक करार राज्य परामर्श और / या समझौता वार्ता में प्रवेश करेगा जो किसी भी अन्य करार राज्य के साथ इस प्रकार की रियायत के साथ शुरू में समझौता किया गया और उन्हें समिति द्वारा निर्धारित एक प्रिंसिपल या पर्याप्त आपूर्ति ब्याज हैं ।
3. अधिसूचना प्राप्त होने के छह महीने के भीतर संबंधित करार राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और अधिसूचित करार राज्य को ऐसी रियायतों के संशोधन या वापसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए समिति द्वारा निर्धारित प्रभावित करार राज्य समकक्ष रियायतें उनके उचित अनुसूचियों में वापस या संशोधित कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी संशोधन या वापसी समिति को अधिसूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद- XVIII

रियायतों की रोक या वापसी

एक करार राज्य रियायतों की अपनी अनुसूची में किसी भी उत्पाद, किसी भी समय पूरे या हिस्से में रोकने या वापस लेने के लिए मुक्त हो जाएंगे, जिनके संबंध में यह निर्धारित है कि शुरू में एक राज्य के साथ समझौता किया गया जो इस समझौते में एक करार राज्य नहीं रह गया है। एक करार राज्य ऐसी कार्रवाई लेने से समिति को सूचित करेगा, और अनुरोध पर, संबंधित उत्पाद में पर्याप्त रुचि रखने वाले करार राज्य के साथ परामर्श करें।

अनुच्छेद-XIX

परामर्श

1. इस समझौते के प्रचालन को प्रभावित किसी भी विषय के संबंध में दूसरे करार राज्य द्वारा इस तरह के अभ्यावेदन के संबंध में विचार-विमर्श के लिए प्रत्येक करार राज्य सहानुभूति से विचार करेगा और पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा ।

2. समिति एक करार राज्य के अनुरोध पर उनके लिये ऊपर अनुच्छेद-1 के तहत के परामर्श के माध्यम से असंभव किसी विषय के बारे में एक संतोषजनक समाधान खोजने के लिए किसी भी करार राज्य के साथ परामर्श कर सकती है, ।

अनुच्छेद-XX

विवादों के निपटान

इस समझौते के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग या इसकी रूपरेखा के भीतर अपनाए किसी भी साधन के संबंध में करार राज्यों के बीच उत्पन्न कोई भी विवाद संबंधित पक्षों के बीच समझौते के द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा। एक विवाद को सुलझाने में विफलता की स्थिति में इसे विवाद के एक पक्ष द्वारा समिति को भेजा जा सकता है। समिति इस मामले की समीक्षा करेगी और विवाद के प्रस्तुत करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर उस पर एक सिफारिश बनाएगी। इस प्रयोजन के लिए समिति को उचित नियमों को अपनाना होगा।

अनुच्छेद-XXI

साप्ता से निकासी

1. किसी भी करार राज्य समझौते लागू होने के बाद किसी भी समय इस से वापस ले सकते हैं। इस तरह की वापसी इस समझौते के निक्षेपागार सार्क सचिवालय द्वारा, तत्संबंधी लिखित सूचना प्राप्त होने के दिन से छह महीने तक प्रभावी होंगे। इसके साथ ही करार राज्य ली गई कार्रवाई की सूचना समिति को देगा।
2. इस समझौते से वापस करार राज्य के दायित्व और अधिकार लागू करने की प्रभावी तारीख को समाप्त हो जाएंगे।
3. किसी भी करार राज्य से वापसी के बाद, कार्रवाई पर विचार करने के लिए समिति 30 दिनों के भीतर एकत्र होगी।

अनुच्छेद-XXII

प्रभाव

सभी करार राज्यों द्वारा औपचारिकताओं के पूरा होने के संबंध में सार्क सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद तीसवां दिन पर यह समझौता प्रभाव में आएगा।

अनुच्छेद-XXIII

आरक्षण

इस समझौते पर आरक्षण के साथ हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता औपचारिकताएं पूरी होने के साथ सार्क सचिवालय को अधिसूचना के समय न ही आरक्षण स्वीकार किया जाएगा।

अनुच्छेद-XXIV

संशोधन

समझौते में संशोधन के जरिए इस करार को संशोधित किया जा सकता है। सभी संशोधन सभी करार राज्यों की स्वीकृति के बाद प्रभावी हो जाएंगे।

अनुच्छेद-XXV

निक्षेपागार

इस समझौते को सार्क महासचिव के साथ जमा किया जाएगा जो प्रत्येक करार राज्य को तुरंत उसकी एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

अधोहस्ताक्षरी की गवाही में **ढाका में** संपन्न संबंधित सरकारों द्वारा इस समझौते पर विधिवत अधिकृत किए जा रहे सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते पर एक हजार नौ सौ तिरानवे में **अप्रैल के ग्यारहवें दिन** में अंग्रेजी भाषा में आठ मूल में हस्ताक्षर किए हैं।

ए.एस.एम.मोस्थाफिज़ूर रहमान

विदेश मंत्री

बांग्लादेश जनवादी गणराज्य

दिनेश सिंह

विदेश मंत्री

भारत गणराज्य

महेश आचार्य

वित्त राज्य मंत्री

नेपाल के महामहिम की सरकार

हेरोल्ड हार्ट

विदेश मंत्री

श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य

दावा त्सेरिंग

विदेश मंत्री

भूटान का साम्राज्य

फाथुल्ला जमील

विदेश मंत्री

मालदीव गणराज्य

मुहम्मद सिद्दीक खान कंजु

विदेश मामलों के राज्य मंत्री

पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य

अल्प विकसित करार राज्यों के पक्ष में अतिरिक्त उपाय

1. अल्प विकसित करार राज्य के प्रदेशों में, औद्योगिक एवं कृषि परियोजनाओं की पहचान, तैयारी तथा स्थापना जिससे अन्य करार राज्यों को, अल्प विकसित करार राज्य के निर्यात के विस्तार के लिए संभवतः सहकारी वित्तपोषण और पुनर्खरीद की व्यवस्था से जुड़े उत्पादन आधार प्रदान कर सकता है ;
2. सहकारी समझौते के तहत अंतर क्षेत्रीय मांग की पूर्ति करने के लिए अल्प विकसित करार राज्यों में विनिर्माण एवं अन्य सुविधाएं की स्थापना;
3. अल्प विकसित करार राज्यों को उनके निर्यात के विस्तार में और साप्ता से उनके लाभ को अधिकतम करने में सहायता करने के लिए व्यापार के क्षेत्र में निर्यात संवर्धन नीतियों के निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना;
4. इन अल्प विकसित करार देशों में मौजूद सुविधाओं के साझा करने के द्वारा अल्प विकसित करार देशों के उत्पादों के निर्यात विपणन के समर्थन का प्रावधान (उदाहरण के लिए, निर्यात ऋण बीमा के संबंध में बाजार जानकारी की पहुँच) तथा संस्थागत एवं अन्य सकारात्मक उपायों के द्वारा अल्प विकसित करार राज्यों से अपने ही बाजार में आयात सुविधाजनक बनाना;
5. व्यापार के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए बनायी गयी परियोजनाओं में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने के विचार से अल्प विकसित करार राज्यों में (सार्वजनिक और निजी दोनों) परियोजना प्रायोजकों के साथ अन्य करार राज्यों में उद्यमों को एक साथ लाना;
6. शिपिंग के संबंध में विशेष सुविधाओं और दरों का प्रावधान।

रियायतों की राष्ट्रीय अनुसूचियाँ
(अलग से परिचालित) मूलस्थान के नियम

- नियम 1: मूलस्थान उत्पाद – साप्ता की रूपरेखा के अंतर्गत अधिमान्य व्यापार व्यवस्था के द्वारा समाविष्ट उत्पाद
नियम 5 के अर्थ के भीतर इस करण, एक करार राज्य क्षेत्र में दूसरे करार राज्य से आयात जो सीधे परेषित किया जाता है, अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे अगर वे मूल आवश्यकता के अनुरूप निम्न में से किसी एक के तहत हो :
(क) उत्पाद नियम 2 में परिभाषित के अनुसार निर्यात करार राज्य में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त या :

(ख) उत्पाद पूरी तरह से उत्पादित या निर्यात करार राज्य में प्राप्त नहीं है, बशर्ते कि उक्त उत्पाद नियम 3 या नियम 4 के तहत पात्र हैं।
- नियम 2: नियम 1(क) के अर्थ में पूर्ण उत्पादित या प्राप्त निम्नलिखित निर्यात करार राज्य में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त के रूप में विचार किया जाएगा:
(क) अपनी धरती से अपने पानी या उसके समुद्र तट से निकाले गए कच्चे या खनिज उत्पाद:
(ख) कृषि उत्पाद जो वहाँ के उपज : -
(ग) वहाँ जन्मे और पाले गए पशु;
(घ) ऊपर पैरा (ग) में निर्दिष्ट जानवरों से प्राप्त उत्पाद;
(ङ) वहाँ किए शिकार या मत्स्यन से प्राप्त उत्पाद :
(च) समुद्री मत्स्यन के उत्पाद तथा अपने जहाजों द्वारा गहरे समुद्र से प्राप्त अन्य समुद्री उत्पाद;
(छ) प्रसंस्कृत और / या अपनी फैक्टरी जहाजों के बोर्डों पर बनाए गए उत्पाद विशेष रूप से ऊपर पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट उत्पाद:
(ज) वहाँ एकत्रित इस्तेमाल किए उत्पाद, जो केवल कच्चे माल की पुनर्प्राप्ति के लिये उपयुक्त:
(झ) वहाँ के निर्माण कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट एवं रद्दी माल
(ञ) वहाँ उत्पादित सामान विशेष रूप से ऊपर पैरा (क) से (झ) में निर्दिष्ट उत्पाद।

रियायतों की राष्ट्रीय अनुसूचियाँ
(अलग से परिचालित)

मूलस्थान नियमावली के नियम 3: पूरी तरह से उत्पादित या अप्राप्त

नियम 1 (ख) के अर्थ के भीतर । काम किए या प्रसंस्कृत उत्पाद, जिसके परिणाम स्वरूप गैर करार राज्यों से उत्पन्न सामग्री, भाग या इस्तेमाल किए अनिर्धारित मूल के उपज का कुल मूल्य उत्पादित या प्राप्त उत्पादों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक न हो और उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया निर्यात करार राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किया जाता है, तो नियम 3 (ग) और नियम 4 के प्रावधानों के अधीन अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।

(ख) क्षेत्रीय समझौते

(ग) गैर उत्पन्न सामग्री, भागों या उपज का मूल्य होगा:

- (i) सामग्रियों, भागों या उपज के आयात के समय सी.आई.एफ. मूल्य जहां यह साबित किया जा सकता है या
- (ii) करार राज्य के क्षेत्र में अनिर्धारित मूल, जहां काम या प्रसंस्करण चलता है, की सामग्रियों, मूल्यों या उपज के लिए भुगतान किए जल्द से जल्द निश्चित मूल्य ।

नियम 4: मूल के संचयी नियम- नियम 1 में उपबंधित मूल आवश्यकताओं का पालन करने वाले उत्पाद तथा दूसरे करार राज्य द्वारा अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र एक तैयार उत्पाद को एक करार राज्य द्वारा उत्पादन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जब तैयार उत्पाद का काम या प्रसंस्करण करार राज्य के क्षेत्र में संपन्न हुआ है तब उत्भूत उत्पाद के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि करार राज्य के क्षेत्र में उत्पन्न कुल सामग्री उसके एफओबी मूल्य ⁷ के 60 प्रतिशत से कम न हो।

नियम 5: सीधा परेषण - निम्नलिखित को निर्यात करार राज्य से आयात करार राज्य को सीधे परेषित माना जाएगा:

(क) यदि उत्पादों का परिवहन किसी भी गैर-करार राज्य के क्षेत्र से गुजर बिना किया जाता है:

(ख) जिन उत्पादों के परिवहन में ऐसे देशों में यानांतरण या अस्थायी भंडारण के साथ या के बिना एक या एक से अधिक मध्यवर्ती गैर करार राज्यों के माध्यम से पारगमन शामिल है बशर्ते कि:

(i) पारगमन प्रवेश भौगोलिक या विशेष रूप से परिवहन आवश्यकताओं से संबंधित कारणों से जायज़ है:

(ii) उत्पादों को वहाँ व्यापार या उपभोग में दर्ज नहीं किया है और

(iii) उत्पादों को उतराई और पुनः लोड या उन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए जरूरी किसी भी प्रचालन के अलावा किसी अन्य प्रचालन के अधीन नहीं लाया है ।

रियायतों की राष्ट्रीय अनुसूचियाँ (अलग से परिचालित) मूलस्थान के नियम

- ▶ **नियम 6:** पैकिंग – जब उत्पादों की उत्पत्ति का निर्धारण करते हैं, तब उत्पाद के साथ तमाम पैकिंग पर विचार किया जाना चाहिए । यदि राष्ट्रीय कानून अपेक्षा करते तो पैकिंग को अलग से माना जा सकता है।

- ▶ **नियम 7 :** मूलस्थान प्रमाणपत्र –अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र उत्पाद निर्यात करार राज्य के सरकार द्वारा नामित एक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मूलस्थान प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित और इस अनुबंध के पृष्ठों 15 और 16 पर दिखाई प्रमाणन प्रक्रिया के अनुसार अन्य करार राज्य को अधिसूचित किया जाएगा ।

- ▶ **नियम 8 :**

- (क) साप्ता करार के अनुच्छेद 15 और राष्ट्रीय कानून के अनुरूप किसी भी करार राज्य , जिन करार राज्यों के साथ उन्हें आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों नहीं है, उन राज्यों से उत्भूत किसी भी उत्पादन सामग्री से युक्त उत्पादों के आयात का निषेध कर सकते हैं।

(ख) करार राज्य मूलस्थान प्रमाण पत्र में उत्पादन सामग्रियों के मूलस्थान विनिर्दिष्ट करने के लिए पूरा सहयोग देंगे ।

- **नियम 9 : समीक्षा** - एक तिहाई करार राज्यों के अनुरोध पर जब आवश्यक हो इन नियमों की समीक्षा की जा सकती है तथा इस तरह सहमत हुए संशोधन के लिए खुला हो सकता है ।

रियायतों की राष्ट्रीय अनुसूचियाँ

(अलग से परिचालित) मूलस्थान के नियम

- **नियम 10: विशेष मानदंड प्रतिशत** - अल्प विकसित करार राज्यों में उत्भूत उत्पाद को नियम 3 और 4 में स्थापित प्रतिशत के लिए लागू एक अनुकूल 10 प्रतिशत प्वाइंट की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, नियम 3 के लिए, प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, और नियम 4 के लिए, प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
1. खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री के साथ ही धातु अयस्कों के खनिज शामिल हैं ।
 2. वानिकी उत्पाद शामिल हैं ।
 3. "जहाज़" - मत्स्यन के वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाजों के लिए उल्लेख होगा। एक करार राज्य के देश में पंजीकृत और एक नागरिक या नागरिकों या सरकारों द्वारा संचालित 01 करार राज्य या साझेदारी, निगम या संघ, ऐसे करार के राज्य के देश में विधिवत पंजीकृत है, जिसकी लागत पर इक्विटी के 60 प्रतिशत एक नागरिक या नागरिकों और / या इस तरह के करार राज्यों की सरकारों या 75 प्रतिशत नागरिकों और / या करार राज्यों की सरकारों द्वारा के स्वामित्व में है । तथापि, द्विपक्षीय समझौतों के तहत वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाजों से लिए उत्पाद, पट्टे / सुविधा उपलब्ध कराए इस तरह के जहाजों और / या करार राज्यों के बीच पकड़ के बँटवारे के उत्पाद अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।
 4. सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित वाहिकाओं या फैक्टरी जहाजों के संबंध में एक करार राज्य के झंडा उड़ान की आवश्यकता लागू नहीं होती ।
 5. इस समझौते के प्रयोजन के लिए " फैक्टरी जहाज" का अर्थ विशेष रूप से ऊपर पैरा (च) में निर्दिष्ट उन उत्पादों के प्रसंस्करण और / या बोर्ड पर उत्पाद बनाने के लिए प्रयुक्त किसी भी पोत, के रूप में परिभाषित है ।
 6. साप्ता के तहत बातचीत की क्षेत्रीय समझौतों के ढांचे के भीतर कारोबार किए उत्पादों के संबंध में, लागू करने के विशेष मानदंड के लिए प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता हो सकती है । जब क्षेत्रीय समझौतों की बातचीत की जाती है तब इन मानदंडों को ध्यान दिया जा सकता है।
 7. ऊपर नियम 4 द्वारा निहित "आंशिक" संचयन का मतलब यह है कि जब दूसरे करार राज्य के क्षेत्र में अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र एक तैयार उत्पाद के लिए आदानों के रूप में इस्तेमाल किए उत्पाद जिसने एक करार राज्य के क्षेत्र में मूलस्थान स्थिति हासिल कर ली है, को ध्यान में रखा जा सकता है ।
 8. सभी करार राज्यों द्वारा प्रयुक्त मूलस्थान का एक मानक प्रमाण पत्र संलग्नक है और करार राज्यों द्वारा अनुमोदित है ।

मूलस्थान प्रमाण पत्र

1. --- से परेषित उत्पाद (निर्यातक के व्यापार, संदर्भ संख्या
नाम, पता, देश) भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता
(आई एस एफ टी ए)
(संयुक्त घोषणा और प्रमाण पत्र)
..... (देश) में जारी किए गए
पृष्ठ की दूसरी तरफ की टिप्पणियाँ देखें
2. --- को परेषित उत्पाद (परेषिती का नाम,
पता देश)
3. परिवहन और मार्ग के साधन (जहां तक ज्ञात हो)
4. कार्यालय के प्रयोग हेतु
5. प्रशुल्क 6. पैकेजों 7. पैकेजों की 8. मूल स्थान 9. कुल वजन 10. बीजक की
आइटम के निशान संख्या और प्रकार का मानदण्ड या अन्य मात्रा संख्या और
नंबर और उत्पादों का (दूसरी तरफ की दिनांक
संख्या विवरण टिप्पणियाँ देखें)
11. निर्यातक द्वारा घोषणा: अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता है कि उपरोक्त विवरण और
बयान सही हैं: सभी उत्पादों का उत्पादन
..... (देश)में किया गया इसके द्वारा किए गए नियंत्रण के आधार पर
और वे ----- को निर्यातित प्रमाणित है कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही
(आयातित देश) उत्पाद आईएसएफटीए में है।
उत्पादों के लिये विनिर्दिष्ट मूलस्थान
अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं
स्थान और तारीख, स्थान और तारीख,
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
12. प्रमाण पत्र:

I. सामान्य शर्तें

अधिमान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्पाद :

- क. रियायतों की अनुसूची में अधिमान्यता के लिए योग्य उत्पादों के उल्लेख के अंतर्गत आते हैं ;
'गंतव्य स्थान साप्ता देश :
- ख . साप्ता मूलस्थान नियमों का अनुपालन। एक परेषण के प्रत्येक उत्पाद अपने आप में अलग
सेयोग्य होना चाहिए :और
- ग . साप्ता मूल स्थान नियम द्वारा विनिर्दिष्ट परेषण शर्तों का अनुपालन करना । सामान्य रूप में
नियम 5 के अर्थ के भीतर इस करण उत्पादों को निर्यात देश से गंतव्य देश को सीधे परेषित
किया जाना चाहिए।

II. बॉक्स 8 में की जाने की प्रविष्टियां:

साप्ता मूल स्थान नियमावली के नियम 2 के अनुसार निर्यातित करार राज्य में पूर्ण रूप से
उत्पादित या प्राप्त अधिमान उत्पाद या निर्यातित करार राज्य में पूरी तरह से उत्पादित या
प्राप्त नहीं किया गया है, नियम 3 या नियम 4 के तहत पात्र होना चाहिए ।

- क. पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त उत्पाद हो, बॉक्स 8 में अक्षर 'ए' प्रविष्ट करें ।
- ख. उत्पाद पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं हो ; बॉक्स 8 में प्रविष्टि निम्नानुसार होनी चाहिए:
1. उत्पाद, जो नियम 3 के अनुसार मूल मानदंड को पूरा करने पर बॉक्स 8 में अक्षर 'बी' दर्ज करें। अक्षर की प्रविष्टि के बाद गैर करार राज्यों से उत्भूत सामग्रियों, भाग या उपज या इस्तेमाल किए प्रयुक्त अनिर्धारित मूल, उत्पादों के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होगा; (उदाहरण "बी" 50 प्रतिशत ।
 2. नियम 4 के अनुसार मूल मानदंडों को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए बॉक्स 8 में अक्षर 'सी' दर्ज करें। अक्षर 'सी' की प्रविष्टि के बाद निर्यात करार राज्य क्षेत्र में उत्भूत कुल सामग्री का योग निर्यातित उत्पाद के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होगा; (उदाहरण "सी" 60 प्रतिशत) ;
 3. नियम 10 के अनुसार विशेष मूल मानदंडों को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए बॉक्स 8 में अक्षर 'डी' दर्ज करें ।